संख्या-115/2016/757/22-2-2016-17(51)/2011

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 अगस्त, 2016***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव निवासी जनपद-जौनपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13263/पर-2(एम025-04-2016) दिनांक-03-05-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, ग्राम-गुलालपुर, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य आम की फसल के सम्बन्ध में हुए झगडे. एवं बगीचे के बटवारे को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 27.09.1988 को रात्रि लगभग 10:30 बजे घर में घुसकर सो रहे बागेश्वरी लाल, सुशील कुमार, कमलेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार एवं विन्यवासिनी लाल की फरसा एवं गडासानुमा बाके से मारकर 05 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-256/1988 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ए0एस0जे0, जौनपुर द्वारा दिनांक 20.06.1991 द्वारा मृत्यु दण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल क्रिमिनल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 26.04.1993 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड में परिवर्तित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि अभियुक्त का अपराध प्रतिशोध की भावना के क्रम में जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध में लिप्त होने तथा फरार होने की प्रवल सम्भावना है। जघन्य अपराध करने में पूर्ण रूप से सशक्त व संलग्न हो जायेगा। बन्दी की आर्थिक स्थिति खराब है, घर पर कोई सदस्य नहीं रहता है आदि के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा भी बन्दी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एव धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश श्रीवास्तव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, निवासी जनपद-जौनपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-115/2016/757/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।